बिहार सरकार

समाहरणालय,अररिया
(जिला राजस्व प्रशाखा)

दूरभाष सं0 : 06453–222001(का0)
: 06453–222102(आ0)
फैक्स सं0 : 06453–222124
email - dm-araria.bih@nic.in

संयुक्त आदेश

प्रायः देखा जा रहा है कि जिला स्तर से प्रमण्डलीय स्तर पर आयोजित जनता दरबार में भू–विवाद की अधिक समस्या ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे है। भू–विवाद की समस्या का त्वरित निष्पादन नहीं होने से असंतोष की भावना बढ़ती है और इसी कारण विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाया करती है। कभी–कभी तो यह समस्या इतनी जटित हो जाती है, कि इसके कारण गम्भीर दंगे/आगजनी एवं हत्या जैसी बड़ी अपराध की घटना को भी अंजाम दे दिया जाता है। भू–विवादों की समस्या का स्थायी समाधान प्रशासन के लिए एक चुनौती है। इसके समाधान के लिए यह आवश्यकता महसुस की जा रही है कि अंचल स्तर पर राजस्व अभिलेखों का संधारण ठीक ढ़ंग से किया जाय। किसी महत्वपूर्ण मामलों का निष्पादन स्थानीय जाँच के पश्चात् तथा दोनों पक्षों को सुनकर ही किया जाय। इसी तरह यदि भू–विवाद की समस्या लेकर कोई व्यक्ति थाना पहुँचते है, तो उनकी पूरी बात सुनकर कागजातों को देखकर त्वरित कार्रवाई तुरंत की जाय तथा यदि आवश्यक समझा जाय तो संबंधित राजस्व कर्मचारी तथा अंचलाधिकारी से सहयोग लेकर इसका स्थायी समाधान निकाला जाय ताकि किसी प्रकार की विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो और प्रशासन पर लोगों का भरोसा स्थापित हो सके। त्वरित कार्रवाई से एक ओर जहाँ प्रशासन की छवि बनी रहेगी तो दूसरी ओर जनता को राहत मिलने के साथ विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। भू–विवाद से संबंधित प्रतिवेदन भी विहित प्रपत्र में पाक्षिक रूप से भेजी जाय **तत्संबंधी प्रपत्र संलग्न की जा रही है।**

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में दिनांक 16.05.2015 को प्रमण्डलीय विधि–व्यवस्था की बैठक में भली भाँति विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया :–

1. आयुक्त, पूर्णियाँ के पत्रांक 437/सी0, दिनांक 06.06.2015 द्वारा निदेश प्राप्त है कि प्रत्येक मंगलवार को थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी संयुक्त रूप से थाना अथवा अंचल कार्यालय में जनता की समस्या की सुनवाई हेतु 11:00 बजे पूर्वाहन् शिविर का आयोजन करें। परन्तु प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 579(9)/रा0, दिनांक 18.11.2014 द्वारा प्रत्येक अंचल में प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को एक ही स्थान पर 15 दिनों के अंतराल पर दो राजस्व शिविर आयोजित कर राजस्व संबंधी मामलों एवं दाखिल–खारिज मामलों के निष्पादन की कार्रवाई हेतु मार्ग निर्देश प्राप्त है। जिसके क्रम में कार्यालय आदेश ज्ञापांक 983/रा0, दिनांक 06.06.2015 द्वारा प्रत्येक अंचल में प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को राजस्व शिविर आयोजित करने के उदेश्य से रोस्टर का निर्धारण किया जा चुका है। अतएव उपरोक्त आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में प्रत्येक मंगलवार के स्थान पर प्रत्येक शनिवार को थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी संयुक्त रूप से थाना अथवा अंचल कार्यालय में जनता की समस्या की सुनवाई हेतु 11:00 बजे पूर्वाहन् शिविर का आयोजन करेंगे।
2. इस शिविर में राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन निश्चित रूप से रहें।
3. इस शिविर में न्यायालय से बाहर भू–विवाद के मामले को आपसी समझौता एवं कॉसिलिंग के आधार पर करने का प्रयास किया जाए।
4. साप्ताहिक बैठक की कार्यवाही पंजी में दर्ज की जाय।
5. बैठक की कार्यवाही एवं इस बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी अंचलाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमण्डलीय पुलिस पदाधिकारी एवं जिला को देंगे।
6. शनिवार को अवकाश रहने की स्थिति में सोमवार को, सोमवार को भी अवकाश रहने की स्थिति में दूसरे दिन पूर्व निर्धारित समय पर बैठक का आयोजन निश्चित रूप से की जाय।
7. अंचल स्तर से यदि कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, तो तत्क्षण इसकी जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को देंगे।
8. अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संयुक्त रूप से इसकी समीक्षा 15 दिनों में कर प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए इसकी सूचना संबंधित अंचल/थाना तथा जिला को भी देंगे, ताकि सभी स्तर पर इसकी जानकारी हो जाय। समझौता न होने की स्थिति में निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

9. अनुमंडल पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वैसे मामले जो वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन है, उसे प्रकाश में लायें ताकि जिला स्तर पर इसके निष्पादन हेतु संबंधित कॉउन्सिल एवं राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा सके।

10. वरीय उप समाहर्त्ता, विधि प्रशाखा से प्राप्त सूचना को एकत्रित कर लंबित मामले के त्वरित कार्रवाई कराने हेतु संचिका उपस्थापित कर आवश्यक मार्ग–दर्शन के पश्चात् कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगे।

11. अनुमंडल पदाधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि वैसे असामाजिक तत्व जो भू–विवाद के मामलें में संलग्न है और तरह–तरह की समस्या उत्पन्न करते हों, तो उनके विरूद्ध सुसंगत धारा–107 एवं 109 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करायें ताकि भू–विवाद की समस्या की रोकथाम किया जा सके। यदि आवश्यकता महसुस की जाती है तो सी0सी0ए0 के अन्तर्गत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

12. आये दिन ऐसी भी सूचना प्राप्त हो रही है कि प्रमुख स्थानों पर रोड जाम कर दिया गया है और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा इससे प्रशासन की छवि धूमिल होती है। यह प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। अनुमंडल पदाधिकारी इसमें संलग्न असमाजिक तत्व के विरूद्ध उन्हें चिन्हित कर प्रावधान के अन्तर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि इसकी रोक–थाम किया जा सके। इसमें विलम्ब न हो इस बात का खास ध्यान रखें। तत्क्षण कार्रवाई नहीं होने के कारण हीं यह प्रकृति विकसित हो रही है, जो अच्छी बात नहीं है।

13. प्रायः ऐसा भी देखा जा रहा है कि अमुख स्थान पर भू–विवाद की घटना घटित हो जाने पर संबंधित अंचल/थाना से इसकी सूचना प्राप्त न होकर अन्य श्रोतों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। कभी–कभी तो ऐसा देखा गया है कि इसकी जानकारी राज्य स्तर से दी जाती है। यह प्रवृति अच्छी नहीं है। यदि संबंधित अंचल/थाना द्वारा इसकी सूचना तत्क्षण नहीं दी जाती है, तो समझा जायगा कि उनमें प्रशासनिक संवेदनशीलता का आभांव है और उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई तुरंत सुनिश्चित की जाए ताकि इसकी पुनरावृति भविष्य में न हों।

14. विधि–व्यवस्था के गम्भीर मामलें में अनुमंडल एवं जिला स्तर पर संयुक्त प्रतिवेदन आवश्यक है ताकि प्रशासनिक एवं पुलिस स्तर से की गई कार्रवाई की जानकारी तत्क्षण हो सके तथा उच्चाधिकारी का मार्ग–दर्शन आगे की कार्रवाई के लिए दिया जा सके।

उपर्युक्त बिन्दुओं का दृढ़ता से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/– ह0/–

पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी
अररिया अररिया

ज्ञापांक 1037 /रा0, अररिया दिनांक 15 / 06 /2015

प्रतिलिपि : आई0टी0 प्रबंधक, अररिया को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी अंचलाधिकारी/थानाध्यक्षक, अररिया जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया/फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अररिया/फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : प्रखण्ड/अंचल के सभी वरीय उप समाहर्त्ता, अररिया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

13/6/15 13/6/15

पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी
अररिया अररिया

जिला भू–विवाद संबंधी प्रतिवेदन

जिला का नाम:– माह–

क्रम सं0	जिला का नाम	अंचल का नाम	घटना की तिथि एवं कांड संख्या	मौजा	खाता	खेसरा	रकबा	विवाद का संक्षिप्त कारण	समाधान हेतु की गई कार्रवाई	अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12